

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक - सीडर/20/ 38

दिनांक 24-12-2020

-: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व(ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 53,59,60,66 एवं 86 के अनुसार तहसीलदार मसूदा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व अनुशंषा अनुसार भूमि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता एवं नक्शे में लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मसूदा उक्त आदेश के अनुसार पालना सुनिश्चित कर 15 दिवस में मय रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करे।

पटवार मण्डल :- धौलादातां

तहसील :- मसूदा

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि							नवीन(रास्ता हेतु) प्रविष्टि		
क्र. सं.	पोर्टल क्रमांक	तहसीलदार मसूदा के पत्रांक नम्बर मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा न.	कुल रकबा	किस्म जमीन	खसरा न.	रकबा	किस्म जमीन
1	166/2020	961 24.21.2020	चोदसिया	845/222 675	4.0207 है. 3.2522 है.	बारानी3 बारानी3	845/222/1 675/1	0.1920 है. 0.1120 है.	गै.मु. रास्ता
2	167/2020	963 24.21.2020	रागपुरा	1132 1069	6.0756 है. 4.0855 है.	दार्ती बा0 3	1132/1 1069/1	0.20 है. 0.06 है.	गै.मु. रास्ता

नोट:- अवशेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।



क्रमांक-सम/20/ 162-163
प्रतिलिपि:-

- श्रीमान जिला कलक्टर(भू.अ.) महोदय अजमेर को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
- तहसीलदार मसूदा को पालनार्थ प्रेषित है।

(मोहनलाल खटनावलिया)
(मोउपखण्ड अधिकारी)
(एस.डी.एम.)मसूदा (अजमेर)
मसूदा (अजमेर) राज.

दिनांक 24-12-2020

(मोहनलाल खटनावलिया)
(मोउपखण्ड अधिकारी)
(एस.डी.एम.)मसूदा (अजमेर)
मसूदा (अजमेर) राज.

